अपील सूचना अधिकार संख्या 82/2019 (RCMS 2019/00228) **राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्ट ऑर्डर नं. 865580) बनाम लोक सूचना अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.03.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए अपीलार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी नगर विकास न्याय, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2019 प्रस्तुत करके नो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध की प्रार्थना की है और धारा 20(1) व 20(2) के तहत शास्ति अधिरोपित करने व हर्जाना अप्रार्थी को दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2019 के द्वारा नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

1 राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 12.08.2019 यह कैसी देश भक्ति – भारतमाता चौक पर 100 फीट उंचा तिरंगा लगाने में लापरवाही राष्ट्रीय ध्वज लगाने में ठेकेदार हावी, **नगर विकास न्यास ने साधी चुप्पी**, से सम्बन्धित सूचनाए।

1. समाचार पत्र के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज भारत माता चौक सुखाडिया सर्किल, श्रीगंगानगर में लगाने पर साढे ग्यारह लाख रूपये इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 82/2019

2. साढे ग्यारह लाख रूपये जिस मद में खर्च हुए है उन मदों की सूचना।
3. तिरंगा झंडा लगाने से सम्बन्धित आदेश जिसकी अनुमति से लगाया गया है, उस आदेश की सचूना व प्रमाणित प्रति।
4. जिस दिवस भारतमाता चौक पर राष्ट्रीय ध्वज प्रथम दिवस लगाने का कार्यक्रम हुआ, उस दिवस की सूचना व आदेश की प्रमाणित प्रति।
5. इस राष्ट्रीय ध्वज के रख रखाव व संभाल व ध्वज की मान सम्मान हेतु जिम्मेदारी हेतु जिस अधिकारी को दायित्व सौपा गया, उस अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
6. राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाने के पश्चात जिस अवधि तक तिरंगा फहराता रहा व जिस अवधि तक झंडा फहराता नही रहा? उस अवधि की सूचना।
7. राष्ट्रीय ध्वज लगाने, झुकाने व उतारने सम्बन्धी समय अवधि की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
8. राष्ट्रीय ध्वज लगाने से दिनांक 13.08.2019 तक जिस कार्यालय के सुपरविजन के अधीन झंडे का मान सम्मान बनाये रखने का दायित्व रहा है उसका नाम, कार्यालय का, अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
9. राष्ट्रीय ध्वज उतारने के बाद जिस अधिकारी के पास यह सुरक्षित रहा 13.08.2019 तक उस अधिकारी का नाम व पद की सूचना।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्याय, श्रीगंगानगर ने अपने अपने पत्रांक निर्माण / 2019–20 / 455 निांक 12.09.2019 से भी प्रार्थी को निम्नानुसार सूचित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सुखाडिया सर्किल पर लगाये राष्ट्रीय ध्वज के सम्बन्ध में दस्तावेज चाहे गये है। कृपया दिनांक 17.09.2019 को कार्यालय समय में सांय 3:00 से 6:00 बजे तक कमरा नम्बर 10 में उपस्थित होकर पत्रावली का निरीक्षण कर जो भी दस्तावेज आपको चाहिए, उसकी दो रूपये प्रति कॉपी राशि जमा कराके प्राप्त कर सकते है।
>
> अधिशाषी अभियंता एवं
सहायक लोक सूचना अधिकारी
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर

उक्त अपील के सम्बन्ध में अधिशाषी अभियंता एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक निर्माण / 2019–20 / 593 दिनांक 23.10.2019 से अपील का उत्तर इस न्यायालय को निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषय के प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में लेख है कि श्री राधेश्याम गोयल द्वारा सूचना का अधिकार के नियम के तहत दिनांक 19.08.2019 की सूचना चाही गई थी। जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा श्री राधेश्याम गोयल को पत्र क्रमांक

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

455 दिनांक 13.09.2019 को पत्र जारी करते हुए दिनांक 17.09.2019 को कार्यालय में सायः 3:00 से 6:00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर रिकार्ड का निरीक्षण कर चाहे गये दस्तावेजों के सम्बन्ध में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करने हेतु पत्र जारी किया गया।(पत्र की छायाप्रति संलग्न है।) प्रार्थी निर्धारित अवधि को कार्यालय में उपस्थित नही हुआ। अतः प्रार्थी यदि अब भी कार्यालय में उपस्थित होकर सम्बन्धित पत्रावली का निरीक्षण कर जो भी रिकार्ड सूचना के अधिकार के तहत लेना चाहता है वह 2 रूपये प्रति कॉपी जमा करवाकर प्राप्त कर सकता है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि सम्बन्धित अपील खारिज की जावें।

अधिशाषी अभियंता एवं
सहायक लोक सूचना अधिकारी
नगर विकास न्यास
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर की सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर अधिकृत है। **इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रथम अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है। चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील के प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज जाती है। प्रार्थी चाही गई सूचनाओं से असंतुष्ट हो तो प्रथम अपीलीय अधिकारी अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज जाती है। प्रार्थी चाही गई सूचनाओं से असंतुष्ट हो तो प्रथम अपीलीय अधिकारी अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज जाती है। प्रार्थी चाही गई सूचनाओं से असंतुष्ट हो तो प्रथम अपीलीय अधिकारी अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज जाती है। प्रार्थी चाही गई सूचनाओं से असंतुष्ट हो तो प्रथम अपीलीय अधिकारी अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर **के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।**

आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज जाती है। प्रार्थी चाही गई सूचनाओं से असंतुष्ट हो तो प्रथम अपीलीय अधिकारी अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर **के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।**

आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर